राजस्थान सरकार वन विभाग

ओर से SITARAM MEENA

क्षेत्रीय वन अधिकारी

DCF JAIPUR

निमित न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

क्रमांक / ENDIV003RNG01046

विषय : — राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री asfasdf निवासी asdfasdf ने वन भुमि ग्राम के खसरा नम्बर sdfds आरिक्षत / रिक्षत वनखण्ड DCF JAIPUR की 0.34 हैक्ट0 पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 424 दिनांक 11/01/2021 के द्वारा Reserve Forest घोषित हो चुकी है। क्षेत्र का मानचित्र एवं वन भुमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण संलग्न है।

अतः श्री asfasdf को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : -

- 1. MAP Document File
- 2. Jamabandi Document File
- 3. Notification Document File

भवदीय SITARAM MEENA क्षेत्रीय वन अधिकारी DCF JAIPUR